CNO 83/2012

05-11-19 पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी उप० उनकी एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र 212 पर सुनी गई। अब पत्रावली वास्ते आदेश T.I. प्रार्थना पत्र हेतु दि० 13/11/19 को पेश हो।

13/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली वास्ते T.I. के आदेश मे 20/11/19 को पेश हो।

20/11/19 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। सलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया एव वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम किशनगढ़ के पुराने खसरा नम्बर 1445 वर्तमान खसरा नम्बर 1971 रकबा 5 बिघा एव खसरा संख्या 1972 रकबा 12 बिघा 6 बिस्वा कुल 17 बीघा 6 बिस्वा मे से 7 बिघा भूमि में प्रार्थी विगत 40-45 वर्षो से अबाध रुप से काबिज काश्त है। प्रार्थी के पक्ष मे 22/2/1985 को सरकार बनाम छोटूनाथ प्रकरण संख्या 406/84 मे नियमन आज्ञा के आदेश पारित किये है किन्तु उसकी पालना अभिलेख मे नही की गई। प्रार्थी सदभावी कृषक है जो वर्णित भूमि पर विगत 40-45 वर्ष से काबिज काश्त कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध मुखालफाना सिद्ध होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अप्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ने अपने जवाब मे विखण्डन करते हुए कहा की उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का 40-50 वर्ष का कब्जा होना अस्वीकार है। वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

भूमि सरकारी है जिस पर प्रार्थी का कोई सरोकार नही है। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा कोई भी नियमन आदेश पारित नही किया गया है। वाद ग्रस्त भूमि सरकारी है। ~~जिसे~~ अतः प्रार्थी का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। राजकीय सरकारी भूमि पर अतिक्रमी का किसी प्रकार का एडवर्स पजेशन नही माना जाता। तहसीलदार किशनगढ़ ने ना तो नियमन के आदेश पारीत किये है ना ही उन्हे नियमन आदेश पारित करने का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा धारा 80 CPC का नोटिस राज्य सरकार को नही दिया है अतः वाद चलने योग्य नही है। वादग्रस्त भूमि सरकारी होने के कारण राज्य सरकार को किसी प्रकार कि ~~अस~~ निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

हमने वादी प्रार्थी की बहस एव ~~प्रत~~ अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया तथा दस्तावेजो का अवलोकन किया।

अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी को ~~अ~~ अपने पक्ष मे सुविधा का सन्तुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एव अपूर्तनीय क्षति सिद्ध करना होता है। प्रार्थी द्वारा जो उक्त नियमन आदेश 486/84 दिनांक 22/2/1985 के बारे मे कथन किया गया है उसमे मात्र सिफारीश की गई है ना की नियमन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि मुख्यालपाना के आधार पर ~~अ~~ उन्हे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल ~~क~~ ने ~~क~~ जगदीश एव अन्य बनाम श्री सितराम एव अन्य 2011 SCC Online RBR (Raj) 26! 2011 2 RLW (Rev) 705 मे यह अभिनिर्धारित किया है कि मुख्यालपाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत।

अतः प्रार्थी प्रथम दृष्ट्या अपना पक्ष सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Devendra
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2019.12.24 18:16:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: